

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु..... मुकाम.....

किस्म मुकदमा नं. 917 88, 188 नं. 96/2022 सन. 2022  
अजितराम बनारस अजितराम कोरा  
मि. अ. -

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05/05/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम जाखड</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>88, 188</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>24/06/2022</u> को पेश हो।</p>	
24/06/2022	<p><del>प्राती वहील उपरोक्त प्रतिवादी</del></p> <p><del>संख्या - 1 श्री कोरा से वहील मि</del></p> <p><del>हुकम नं. 917 88, 188 व डायनामा मय</del></p> <p><del>इसका जवाबदावा पेश किया गया जिसकी</del></p> <p><del>प्रति प्राती वहील को ही जाडू वाकिल</del></p> <p><del>पत्रावली किया गया। प्राती वहील द्वारा</del></p> <p><del>प्राती लाम्बु के रूप में प्राती स्वयं PW-1</del></p> <p><del>जमादार पुत्र अजितराम जाति-जाट निवासी</del></p> <p><del>नाथवाडी जाबिलों की ठाणी पट्टा एल्ड</del></p> <p><del>नगोनी अतरवाली की ठाणी तहसील कामड</del></p> <p><del>जिला-बाड़मेर व तलत गवाह PW-2</del></p> <p><del>लाम्बुराज पुत्र अजितराम जाति-जाट निवासी</del></p> <p><del>नाथवाडी जाबिलों की ठाणी नगोनी अतरवाली की ठाणी</del></p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला-बाड़मेर (कोरा)</p> <p></p> <p>अजितराम कोरा</p> <p>नाथवाडी</p>

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

(अ) प्रतिवर्षी पट्टीत द्वारा प्रतिवर्षी मजदूरी  
 1 स्वयं DW-1- गैरजुनान पुत्र पुमादा  
 जाति- जाट निवासी- नारायण जाडेवा  
 श्री ठाणी परवा मजदूर - नगोवा प्रवावाली  
 श्री ठाणी के रायपु- यम पेश दिने उभे  
 जिसे शामिल पमावली दिना उभ्या/वा  
 वहील श्री रायपुसिप कथम हुनी उभे  
 पमावली व पमावली के संलग्न राजाव रीड  
 2) निवलोडन दिना उभ्या/ वा निवलोडन  
 वा 3) वाय स्वोडा दिना जाड निवाम  
 हिल) से लिया जाड शामिल पमावली  
 दिना उभ्या/ दिना पमा जारी डीड  
 पमावली केमल शुमा डी डी नमब  
 से डम डी, दाबिल इमनं डी

सहायक/कल-नर (कल)  
 वागरी  
 जिला- बीडगेर

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S. )

राजस्व वाद संख्या- 96/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसाराम पुत्र अरजनराम, जाति-जाट, निवासी- नाथाणी जाणियों की ढाणी, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर		1. अरजनराम पुत्र फूसाराम, 2. ताजाराम पुत्र फूसाराम, जाति-जाट, निवासी- नाथाणी जाणियों की ढाणी, नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर 3. एस.बी.आई. शाखा, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादी  
2. श्री कुम्भसिंह वकील प्रतिवादी संख्या 01

-: निर्णय :-

दिनांक : 05.05.2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा नाथाणी जाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1060, 1069, 1088, 1090, 1091, 1317, 1319, 925 रकबा क्रमशः 3.2845, 5.1291, 0.0809, 0.0324, 3.5515, 3.6162, 14.6025, 4.6194 हैक्टेयर व मौजा धतरवालों की ढाणी, पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु खेत खसरा नं. 285, 304, 306 रकबा क्रमशः 1.9254, 1.2378, 1.4805 हेक्टेयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज फूसाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घाघणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं जसाराम पुत्र अरजनराम का शपथ पत्र PW 1 स्वतंत्र गवाह के रूप में लाखाराम पुत्र अणदाराम का शपथ पत्र PW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से पर्चा लगाना जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज फूसाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा नाथाणी जाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1060, 1069, 1088, 1090, 1091, 1317, 1319, 925 रकबा क्रमशः 3.2845, 5.1291, 0.0809, 0.0324, 3.5515, 3.6162, 14.6025, 4.6194 हेक्टेयर व मौजा धतरवालों की ढाणी, पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु खेत खसरा नं. 285, 304, 306 रकबा क्रमशः 1.9254, 1.2378, 1.4805 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

## अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जसाराम पुत्र अरजनराम,  
जाति-जाट, निवासी- नाथाणी जाणियों की  
ढाणी, नगोणी धतरवालों की ढाणी,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

1. अरजनराम पुत्र फुसाराम,  
2. ताजाराम पुत्र फुसाराम,  
जाति-जाट, निवासी- नाथाणी  
जाणियों की ढाणी, नगोणी  
धतरवालों की ढाणी,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर  
3. एस.बी.आई. शाखा, बायतु

### दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 96/2022.

निर्णय दिनांक :- 05.05.2022

वादीगण वकील श्री खेताराम व प्रतिवादी वकील कुम्भसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.05.2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नाथाणी जाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1060, 1069, 1088, 1090, 1091, 1317, 1319, 925 रकबा क्रमशः 3.2845, 5.1291, 0.0809, 0.0324, 3.5515, 3.6162, 14.6025, 4.6194 हैक्टेयर व मौजा धतरवालों की ढाणी, पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु खेत खसरा नं. 285, 304, 306 रकबा क्रमशः 1.9254, 1.2378, 1.4805 हेक्टेयरमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



जगदीश सिंह आशिया  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

### वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	